



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020 (3 भाद्र, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
1.	हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2)।	31
2.	हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3)।	33-35
3.	हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7)।	37
4.	हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 8)।	39
5.	कारखाना (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9)।	41
6.	औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 10)। (केवल हिन्दी में)	43
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-II**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अगस्त, 2020

संख्या लैज. 18/2020.— दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अगस्त, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2**हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020****हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003,****को आगे संशोधित करने के लिए****अध्यादेश**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. (1) यह अध्यादेश हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।
(2) यह 31 मार्च, 2020 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, 2003 के हरियाणा अधिनियम 6 में धारा 18क का रखा जाना।
अर्थात्:—
“18क. विशेष परिस्थितियों में समयावधि में वृद्धि के लिए सरकार की शक्ति.— (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों, जिन्हें अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सकता या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, अथवा के अधीन विहित या अधिसूचित समयावधि में वृद्धि कर सकती है।
(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व की तिथि से ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल नहीं होगी।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों हेतु, “अनिवार्य बाध्यता” अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या प्रकृति से उत्पन्न कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के लागूकरण को अन्यथा से प्रभावित करने वाला कोई मामला।”।

चण्डीगढ़:
दिनांक 23 अगस्त, 2020

सत्यदेव नारायण आर्य,
राज्यपाल, हरियाणा।

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।